



केंद्रीय विद्यालय क्रमांक ३, एलनबाई लाइन्स अम्बाला छावनी,  
KENDRIYA VIDYALAYA No. 3, ALLENBY LINES,  
AMBALA CANTT

हरियाणा- १३३००१/ Haryana -133001

दूरभाष/Phone-0171-2610730, 2970810

केवी कोड : 1292 सीबीएसई संबद्धता संख्या : 500010 सीबीएसई स्कूल संख्या : 44526

KV Code: 1292 CBSE Affiliation No. : 500010 CBSE School No.: 44526

वेबसाइट : <https://no3ambalacantt.kvs.ac.in> ईमेल : [kv3ambalacantt@gmail.com](mailto:kv3ambalacantt@gmail.com)

Website: <https://no3ambalacantt.kvs.ac.in> e-mail: [kv3ambalacantt@gmail.com](mailto:kv3ambalacantt@gmail.com)



फा.प्वन/के.वि-3/अम्बाला छावनी/2022-23/ 150


दिनांक: 22.08.2023

### विद्यालय में वाहन की सेवाओं के लिए निविदा के नियम एवं शर्तें

- 1- सलग्न विवरण में उल्लिखित सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मोहरबंद दरें केंद्रीय विद्यालय सं. 3 अम्बाला छावनी की ओर से **दिनांक 31.08.2023 तक आमंत्रित की जाती है**। दरें किसी मोहरबंद मजबूत लिफाफे में केवल स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजी जाए और लिफाफे पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो " \_\_\_\_\_ की आपूर्ति/सेवा के लिए दरें, निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांक 01.09.2023 को 11:00 बजे खोली जाएगी**।
- 2- दरें पैराग्राफ 3 से 20 में निर्दिष्ट शर्तों एवम निबंधों के अनुसार प्रस्तुत की जाए। जब तक दरों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो यह मान लिया जाएगा कि इसके अधीन बताई गई शर्तें एवम नियम आपको मान्य है।
- 3- दरें रेल पर्यन्त निशुल्क हो तथा सभी उत्पादन शुल्क, भाडा-प्रभार कोई अन्य कर, दरें अथवा पूर्ति के सम्बन्ध में लगने योग्य अधिरोपण शामिल हो। GST यदि वस्तु एवं सेवाओं पर लागू हो तो उसे अलग से उल्लेखित किया जाए। केंद्रीय विद्यालय ऐसे किसी भी कर भाड़े आदि का देनदार नहीं होगा जिसका उल्लेख निविदा स्वीकार करने के समय दरों में स्पष्ट रूप से न किया गया हो।
- 4- निविदा में कहीं लिखे हुए के उपर न लिखा जाए या संसोधन न किया जाए। यदि किसी आकड़ों में संसोधन किया जाना हो तो उसे सफाई से काट दिया जाए, संशोधित आकड़ों उपर लिख दिए जाए और पूरे हस्ताक्षर किए जाये, हस्ताक्षर न होने पर निविदा को अस्वीकृत किया जा सकता है।
- 5- अधोहस्ताक्षरी इस बात के लिए आबद्ध नहीं है कि वह निम्नतम दर ही स्वीकार करे और उसका यह अधिकार है कि वह दर को मूल पूर्णतः या अंशतः अर्थात सलग्न विवरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं के लिए या सलग्न विवरण में निर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक वस्तुओं के लिए जैसा भी वह निर्णय लें, स्वीकार करें।
- 6- दर स्वीकार कर लिए जाने पर यह सविदा हो जाएगी और सविदाकार उस दर की शर्तों और निबंधों द्वारा आबद्ध होगा।
- 7- जिस/जिन व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा निविदा भरी जाएगी और **जिन सविदाकारों की दरें अनुमोदित होंगी उनके द्वारा Rs. 5000 की निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) की राशि विद्यालय में जमा करवाना होगा** यदि सविदाकार उपरोक्त राशि जमा नहीं करवाता है तो उस स्थिति में उनकी निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 8- यदि सविदाकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त स्वीकृति में बताये गये समय के अंदर वस्तुओं को सप्लाई नहीं कर पाता, तो अधोहस्ताक्षरी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह बाजार से वस्तुओं को खरीद ले तथा कीमत में यदि कोई अंतर होगा तो पेशगी राशि/प्रतिभूति जमा में से उसकी कटौती की जाएगी और अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति जमा से अधिक किसी राशि का भुगतान किया तो सविदाकार उस राशि का देनदार होगा।

- 9- संलग्न विवरण में बताई गई वस्तुओं की मात्रा बिना कोई कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- 10- दरें स्वीकार करने से पहले अधोहस्ताक्षरी को नमूना मांगने या वस्तुएं देखने की मांग करने का अधिकार है और सर्विदाकार निःशुल्क नमूने भेजने या वस्तुएं दिखाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 11- दरें स्वीकार कर लिए जाने और क्रय आर्डर दिए जाने की स्थिति में वस्तुओं की सप्लाई अधिकतम 15 दिनों के अन्दर करनी होगी। अधोहस्ताक्षरी या उसका कोई प्रतिनिधि आर्डर वस्तुओं की जाँच करेगा तथा यदि सप्लाई अनुसार नहीं होगी तो उन वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 12- सर्विदाकार द्वारा निवेदित दरें निविदा अनुमोदित होने के उपरांत एक वर्ष तक लागु रहेगी। सर्विदा की निष्पादन अवधि के दौरान GST की दरें बढ़ने या घटने को छोड़कर दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 13- निविदा में भाग लेने वाली फर्म के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है:-
  - (i) GST नंबर की प्रतिलिपि।
  - (ii) फर्म की रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित सभी दस्तावेज।
  - (iii) पैन नंबर की प्रतिलिपि।
  - (v) अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज।
- 14- विद्यालय माल की सप्लाई पूरी होने की तारीख से 06 महीने की अवधि के लिए प्रतिभूति राशि पूर्वोक्त के रूप में अपने पास सुरक्षित रखेगा ताकि सप्लाई की गई वस्तुओं में इस अवधि के अंदर यदि कोई खराबी देखने में आए तो उस राशि की वसूली की जा सके।
- 15- विद्यालय द्वारा मंगवाए जाने वाले सामान को विद्यालय तक सर्विदाकार द्वारा पहुंचाया जायेगा, इसके लिए अलग से कोई भाडा नहीं दिया जायेगा।
- 16- विद्यालय को माल पहुंचाने तक यदि रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई टूट-फुट या अन्य कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी जिम्मेवारी सर्विदाकार की होगी।
- 17- केंद्रीय विद्यालय द्वारा कोई फार्म "घ" सप्लाई नहीं किया किया जाएगा।
- 18- फर्म जिस सप्लाई एवं सेवा के लिए निविदा भर रही है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह फर्म GST के तहत उस सप्लाई एवं सेवा के लिए रजिस्टर्ड हों।
- 19- उपर्युक्त शर्तों एवम निबंधों का पालन न करने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी।
- 20- सभी कानूनी विवादों पर अम्बाला के न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा।

मैंने निविदा से सम्बंधित सभी शर्तों को पढ लिया है और हमें मंजूर है।

  
प्राचार्य  
केंद्रीय विद्यालय सं.3 अम्बाला कैंट।

सर्विदाकार के हस्ताक्षर एवं मोहर

संलग्न: वस्तुओं की सूची।


प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय सं.3  
अम्बाला कैंट।  
हरियाणा-133001

## LIST OF ITEMS FOR BUS AND TRANSPORT SERVICES

S.NO	ITEMS REQUIRED ON RENT	RATES PER KM INCLUDING PETROL/DIESEL ETC	NIGHT STAY CHARGES
1	52 SEATER BUS –ORD NON AC		
2	52 SEATER BUS –VOLVO , AC		
3	HIRING OF CARS OF 800 CC to 1200 CC		
4	HIRING OF CARS OF 1200 CC to 1600 CC		
5	HIRING OF CARS OF 1600 CC to 2500 CC		
6	TEMPO TRAVELOR 12 SEATER		
7	TEMPO TRAVELOR 17 SEATER		

## TERMS AND CONDITION


1. The vehicle should be registered as commercial vehicles. It should not be more than FIVE (5) years older and should not have run more than 1,00,000 Km at time of contract and also during the contract period. As soon as 1,00,000 Km are over, new vehicle with less than 1,00,000 Km running shall be provided.
2. The vehicles provided by the service provider should have valid Registration Certificate, Full comprehensive insurance to cover third party and occupants, fitness certificate, PUC, Road Tax, permit etc and any other relevant permits/licenses essentially required by the RTO and any other statutory bodies for the operations of the vehicles, and must be revalidated before the expiry of the due date during the tenure of the contract period.
3. The service provider shall be solely responsible for any claims by any third party and/or employees of user department traveling in the vehicle for any injuries caused by the driver of the vehicle whether by accident or otherwise.
4. In the event of any break-down, servicing and repairs of vehicles, the service provider at his own cost shall make alternate arrangement by providing similar class of vehicle for which agreement is entered into. Failure to do so will evoke penalty clause.

  
 प्राचार्य  
 केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3  
 अम्बाला छावनी  
 हरियाणा-133001

5. During the contract period, if the vehicle is seized or detained or requisitioned by Police/Motor Vehicle Authority or any other authorities for whatsoever reasons that will be at the service provider's risk. Also, alternate vehicle will be provided by Service provider without any extra charges.
6. The service provider shall provide at his own cost proper uniform and badges as per DELHI MOTOR VEHICLES RULES, 1993 (amended upto date)\* and photo identity cards to the drivers. The service provider shall be responsible for the acts and deeds of drivers of the vehicles including following:
- The drivers/staff of the vehicles deployed for user department duties should be non-smoker, nor user of any tobacco, maintain polite & courteous behaviour towards users as well as to staff.
  - Driver must possess a working mobile phone whose number should be given to user by service provider.
  - Driver should have valid commercial driving license.
  - Driver should wash his uniform every day.
  - The driver should not be under influence of liquor or any other intoxicants or smoke while on duty. In the event of such happenings, the driver will have to be removed from services and any damages caused by such contractor's employees will be totally borne by the contractor.
  - Any complaint from the users/staff of the user department with respect to their behaviour/ uniform will be viewed seriously and it will be brought to the notice of the service provider, who shall take suitable action.

ALL TERMS AND CONDITION ACCEPTED BY ME

DATE WITH SIGNATURE AND STAMP OF VENDOR

  
प्रचारक  
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3  
अम्बाला छावनी  
हरियाणा-133001